Bihar: BLJ-High Court (J) 19 [Old (M) 64]

<u>न्यायालय- श्री उदय कुमार न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी बगहा, पश्चिमी चम्पारण, बिहार</u>

परिवाद सं0 -931/22

cri. case (p)- 1030 of 2022

मनोज महतो V/S गंगिया देवी एवम अन्य

Serial no.	Date of Order or proceeding	Order with signature of the Court	Office action taken with date
1	2	3	4
	13/07/23	परिवादी की पैरवी है ।यह अभिलेख आज समन आदेश हेतु नियत है ।परिवादी द्वारा अपने मामले के समर्थन मे स्वय तथा तीन जांच साक्षी को परीक्षित कराया गया है । संक्षेप मे परिवादी का मामला यह है कि दिनांक 01/10/22 को परिवादी और मुदालह के बीच घरारी कि जमीन को लेकर एक पंचायती हुई जिसमे पंचों ने दोनों को घरारी कि जमीन को नापकर चिन्ह लगाते हुए सीमा का निर्धारण कर एक खुटा हला दिया । घटना के दिन सीमा वाली खुटा उखड़ा हुआ देख कर परिवादी आवाज़ देते हुए बोला की खुटा कौन उखाड़ा है उसी समय मुदालह न0 -1 गंगिया देवी आ गयी तथा बोली खूंटा हमलोग उखाड़े है क्या कर लोगे । इसी बात को लेकर दोनों तरफ से बाता-बाती होने लगा । यद्यपि कि जांच साक्षी ने घटना का समर्थन किया है । परिवाद पत्र, परिवादी के शपथ बयान एवम जांच साक्षियो के कथनो से स्पष्ट है कि उभय पक्ष के बीच जमीन को लेकर सीमा विवाद है । उपरोक्त तथ्य एवम परिस्थितियो से स्पष्ट है कि उभय पक्ष के बीच मूल जमीन को लेकर सीमा विवाद है जो मुलत: सिविल प्रकृति का है जिसके लिए दिवानी उपचार उपलब्ध है एवम सिविल दयित्वो के निर्वहन हेतु बाध्य करने के लिए आपराधिक कार्यवाही संस्थित किया जाना न्यायोचित नही है। अत; परिवाद पत्र ,परिवादी के शपथ बयान एवम जांच साक्षियो के साक्ष्य के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचती है कि परिवाद पत्र मे नामित अभियुक्त गण के विरुद्ध कार्यवाही करने का पर्याप्त आधार अभिलेख पर नही है जिस कारण से परिवादी द्वारा लाया गया यह परिवाद धारा- 203 दण्ड	

न्यायिक दण्डाधिकारी-I, श्रेणी
व्यवहार न्यायालय बगहा, प0 चम्पारण
सत्यमेव जयते

न्यायालय- श्री उदय कुमार न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी बगहा, पश्चिमी चम्पारण

परिवाद सं0 -931/22

cri. case (p)- 1030 of 2022

मनोज महतो V/S गंगिया देवी एवम अन्य

		प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत खारिज किया जाता है। कार्यालय को नि... दिया जाता है कि वह अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार मे जमा करे।
		हस्ताक्षर Udaykumar न्यायिक दंडाधिकारी बगहा, पश्चिमी चम्पारण (बिहार)